

कार्यालय, निरीक्षक, नाप-तौल (विधिक मापविज्ञान)

क्र० /ना.तौ./

दिनांक :

परीक्षण बांट रखने हेतु सूचना-पत्र

प्रति,

.....
.....
.....

----- X -----

मध्यप्रदेश विधिक मापविज्ञान नियम, 2011 के नियम 19 (7) के तहत प्रत्येक वे-ब्रिज संस्थान को अपने वे-ब्रिज के परिसर में यथार्थता की उचित जांच घडताल सुनिश्चित करने के लिये 1 टन के सत्यापित व मुद्रांकित परीक्षण बांट रखना अनिवार्य है।

इसी तारतम्य में आपको निर्देशित किया जाता है कि तीन सप्ताह के अंदर एक टन के बांट नाप-तौल विभाग से सत्यापित व मुद्रांकित कराकर वे-ब्रिज परिसर में रखें। उपरोक्त समयावधि के पश्चात परीक्षण बांट उपलब्ध नहीं पाये जाने पर आपके विरुद्ध अभियोजन की कार्यवाही की जायेगी व अगले सात दिन बाद भी परीक्षण बांट नहीं पाये जाने पर वे-ब्रिज संचालन बंद करने की कार्यवाही की जायेगी।

इस कार्यालय को सत्यापन व मुद्रांकन हेतु बांट प्रस्तुत करते समय बांट क्रय करने के बिल की छायाप्रति भी प्रस्तुत करें।

निरीक्षक
नापतौल (विधिक मापविज्ञान)

.....

